न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार चावला (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 272/2012

उनवान

1. लाला ,
2. भाला राम पि. हीरा,
3. रमती देवी पत्नी देवा,
4. सुवालाल पुत्र देवा,
5. चिन्ता पुत्री देवा,
6. नारायणी पुत्री देवा,
7. कमला पत्नी रामपाल,
8. बलराम पुत्र रामपाल ना.बा.,
9. कृष्ण पुत्री रामपाल ना.बा. जरियें संरक्षक माता कला, जाति गुर्जर नि. ग्राम नांदला, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. रामस्वरूप शर्मा पुत्र कालूराम शर्मा उर्फ बालूराम शर्मा जाति बाह्मण नि. नसीराबाद,
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 अनुपस्थित
2 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956 .

–: निर्णय :– दिनांक :– 11.6.19

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बारापत्थर की निम्नांकित आराजी वादीगण की कयशुदा है :–

चौसाला ख.न.	रकबा	वर्किंग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
906	3–5–10	952	3–5–10	1186	0.53
911	0–11–10	953	0–11–10	1187	0.09
910	2–4–0	976	2–4–0	1196	0.30
				1200	0.06
908 मिन	2–1–0	978	2–1–0	1199	0.33
908 मिन	1–2–0	979	2–2–0	1199	0.34
909	1–0–0				
912	1–15–0	954	1–15–0	1195	0.28
913	1–7–0	955	1–7–0	1188	0.22

——1

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

उक्त आराजी चौसाला व वर्किंग जमाबंदी में मूल खातेदार रामस्वरूप पुत्र कालूराम उर्फ बालूराम द्वारा सरस्वती पत्नी चौथमल, पन्नालाल पुत्र श्योप्रसाद के वारिस के रूप में व स्वयं का हिस्सा जरियें पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 1.6.1984 को वादीगण व उनके पूर्वज को विकय कर कब्जा व दखल सौप दिया था। कय दिनाक से ही वादीगण का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजी वंर्किग जमाबंदी में विकय पत्र अनुसार केतागण के नाम दर्ज कर दी गयी थी। किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा पुनः विकेतागण के नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से अंकन कर दी। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घेषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व विधिवत तरीके से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि विकय पत्र दिनांक 1.1.84 का है। विकेता रामस्वरूप पुत्र कालूराम उर्फ बालूराम ने सरस्वती पत्नी चौथमल व पन्नालाल पुत्र श्योप्रसाद को फौत बताया है तथा इनका वारिस स्वयं को बताया है। वाद का निस्तारण वादी के पक्ष में किया जाता है तो राजहित प्रभावित नही होता है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी वादीगण की विधिक कयशुदा है ?
——वादीगण
2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुठिपूर्ण होने से वादीगण खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?
——वादीगण
3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख, विकय पत्र पेश किये व गवाह लाला पुत्र हीरा व भाला पुत्र हीरा के बयान दर्ज करवाये।

राज0 पैरोकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अधिवक्ता वादी ने दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त आराजी विधिवत कय की गयी है उक्त आराजी का नामानतकरण पूर्व राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम हो गया था। शेष सहखातेदारों की मुत्यु हो गयी है जिसका वारिस प्रतिवादी संख्या 1 ही है। किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी त्रुटिपूर्ण तरीके से पुनः प्रतिवादी व विकेतागण के नाम दर्ज कर दी गयी जिसका बंदोबस्त विभाग को कोई अधिकार नही था। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे।

राज0 पैरोकार ने दौराने बहस जवाब के कथनों को ही दोहराया।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

<u>तनकी संख्या 1 व 2 :–</u>

वादग्रस्त आराजी का विकय पत्र दिनांक 1.6.1984 का है। उक्त दिनांक को वंर्किग जमाबंदी प्रभाव में थी। वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी रामस्वरूप पुत्र कालूराम, सरस्वती पत्नी चौथमल, पन्नालाल पुत्र श्योप्रसाद के नाम खातेदारी में दर्ज थी। रामस्वरूप प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 1 है। प्रतिवादी संख्या 1 ने आराजी मुतनाजा में स्वयं का हिस्सा व सरस्वती पत्नी चौथमल, पन्नालाल पुत्र श्योप्रसाद का हिस्सा जरियें पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 1.6.1984 को हीरा पुत्र ज्वारा, देवा, लाला, भाला पि. हीरा को बैचान कर दिया। उक्त विकय पत्र में स्पष्ट अंकित है कि सरस्वती पत्नी चौथमल, पन्नालाल पुत्र श्योप्रसाद का स्वर्गवास हो गया है व उनका एकमात्र वारिस प्रतिवादी संख्या 1 ही है। उक्त विकय पत्र की पालना में वंर्किग जमाबंदी में केतागण के नाम नामान्तकरण दर्ज किया गया, उक्त नोट अस्पष्ट है। किन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख व विकय पत्र के अनुसार वादग्रस्त आराजी वादीगण/पूर्वज द्वारा

——3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

विधिक रूप से कय की गयी थी। पंजीकृत विकय पत्र की सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। पंजीकृत विकय पत्र के पश्चात धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विकेता के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। प्रतिवादी वाद में अनुपस्थित रहे है। राज0 पैरोकार द्वारा भी वाद का खण्डन नही किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत विकय पत्र अनुसार आराजी मुतनाजा केतागण/वारिस के नाम दर्ज होनी चाहिये थी। प्रतिवादी संख्या 1 ने विकय पत्र में अंकित किया है कि सरस्वती पत्नी चौथमल, पन्नालाल पुत्र श्योप्रसाद का स्वर्गवास हो गया है व उनका एकमात्र वारिस प्रतिवादी संख्या 1 ही है। किन्तु वादीगण ने उक्त कथन के समर्थन में पंचायत शजरा प्रमाा पत्र इत्यादि पेश नही किये है जिससे सिद्व होंता हो कि प्रतिवादी संख्या 1 ही उक्त समस्त आराजी का बैचान करने का अधिकार रखता हो। वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादीगण उक्त आराजी पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

अतः ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 1186/0.53, 1187/0.09, 1188/0.22, 1195/0.28, 1196/0.30, 1199/0.67, 1200/0.06 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर सरस्वती पत्नी चौथमल, पन्नालाल पुत्र श्योप्रसाद की विरासत विधिवत दर्ज करने के उपरान्त उक्त विकय पत्र की पालना में हाल खसरा नम्बर 1186/0.53, 1187/0.09, 1188/0.22, 1195/0.28, 1196/0.30, 1199/0.67, 1200/0.06 का राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

कालूनाथ बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :— 88, 188, राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर — 271/2012
पेश करने की दिनांक — 12.12.12

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू सुरेश कुमार चावला (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 1186/0.53, 1187/0.09, 1188/0.22, 1195/0.28, 1196/0.30, 1199/0.67, 1200/0.06 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर सरस्वती पत्नी चौथमल, पन्नालाल पुत्र श्योप्रसाद की विरासत विधिवत दर्ज करने के उपरान्त उक्त विक्रय पत्र की पालना में हाल खसरा नम्बर 1186/0.53, 1187/0.09, 1188/0.22, 1195/0.28, 1196/0.30, 1199/0.67, 1200/0.06 का राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 11 माह 06 सन् 2019 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner